न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां पदेन सहायक कलक्टर(भरतपुर)
व इजलास श्री सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0. 02/17 राजस्व वाद

बनाम

1. शुभम
2. नेहा
3. अनुराग शर्मा पिसरान सत्यपाल नाबालिग जरिये बली सरपरस्त माता खुद रीना शर्मा पत्नि सत्यपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जुरहरी तहसील कामां जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1– सत्यपाल पुत्र आज्ञाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जुरहरी तहसील कामां जिला भरतपुर

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कामां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 R.T.Act

निर्णय

दिनांक 04.02.2019

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 474 आराजी ख0नं0 494/0.48 वाके ग्राम जुरहरी तहसील कामां की आराजी है । आराजी मुतदाविया वादीगण के दादा आज्ञाराम की थी । जिनके फौत हो जाने के बाद सम्पूर्ण आराजी का पारिवारिक विभाजन राजस्व रिकार्ड में किया गया जिसमें विभाजन के आधार पर मुतदाविया खसरा नम्बर 494/0.48 है । वादीगण के पिता सत्यपाल के हिस्से में मुताबिक हिन्दू विधि के पैत्रिक आराजी में वादीगण का भी 1/4 1/4 हिस्सा नियत है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवार का मुखिया होने से सम्पूर्ण आराजी मुत0 पर राजस्व रिकार्ड में अकेले अपने नाम का इन्द्राज करा लिया है । प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में अपनी खरीद शुदा आराजी का बेचान कर चुका है एवं पैत्रिक आराजी का भी बेचान करने पर उतारू है क्योंकि प्रतिवादी नं0 1 बुरी सौबत में पड चुका है शराब व अन्य नशे का दिनरात सेवन करता है । जिसकी जरूरत के लिए आराजी को बेचान करना चाहता है । वादीगण के साथ मारपीट करता है । प्रतिवादी संख्या 1 दीगर लोगों के बहकावे में आकर जमीन को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है इसलिए प्रतिवादी नं02 को वाद

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

पत्र में आवश्यक पक्ष की हैसियत से प्रतिवादी बनाया गया है । जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दफा 80(2)सी0पी0सी0का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु मामला अति अर्जेन्ट नेचर का है यदि नोटिस दिया जाकर मियाद अवधि देखी जाती है तो प्रतिवादी नं01 अपने इरादे में कामयाब हो जायेगा और वह आराजी मुत0 को दीगर लोगों को रहन व मुन्तकिल कर देगा । जिससे वादीगण का वाद दायर करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा । इसलिए उक्त वाद पत्र बिना नोटिस दिये ही धारा 80(2)सी0पी0सी0के प्रावधान के तहत प्रस्तुंत किया जा रहा है । जिसके लिए न्यायालय से पृथक से इजाजत प्राप्त कर ली गई है । वादीगण का पिता सत्यपाल बुरी संगत में पड कर वादीगण के हितो का ध्यान नहीं रखता है ना ही वादीगण का भरण पोषण कर रहे है । वादीगण का पिता प्रतिवादी नं01 सत्यपाल प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान करने पर उतारू है जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 22.12.2017 को ग्राम में वादीगण को दी है कि वह शीघ्र ही वादीगण की आराजी मुत0 से जबरदस्ती लट्ठ व ताकत के बल पर बेदखल कर देगा और वादीगण को आराजी पर काश्त करने नहीं देगा । वह अपने खरीद शुदा आराजी का भी बेचान कर चुका है । यदि प्रतिवादी नं 1 अपनी धमकी में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी तथा उनके हितो व अधिकारों पर भारी कुठारघात होगा एवं नुकसान अंजिम होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नगद या अन्य किसी प्रकार से सम्भव ना हो सकेगी । विधि वजह वादीगण दावीदार है और प्रतिवादी नं01 को जरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । तथा गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी के साथ 1/4, 1/4 के हिसाब से सभी को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन जारी किया गया । प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। इकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वादीगण की मां पी0डब्लू नं01 श्रीमती रीना शर्मा पत्नि सत्यपाल के बयान एवं पी0डब्लू नं0 2 दर्शन पुत्र जयचन्द जाति गूर्जर निवासी ग्राम पाई का शपथ प्रस्तुंत किया गया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया । बयान एवं शपथ पत्र में यह बताया है कि वादीगण शुभम, नेहा अनुराग नाबालिग सन्तान है । प्रतिवादी सं0 1 सत्यपाल शराब पीने का आदी है तथा परिवार का पालन पोषण में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है । जमाबन्दी संख्या 2047–70 में आराजी खसरा नम्बर 494/0.48 वाके ग्राम जुरहरी तहसील कामां पैत्तिक है । वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है । जिसे वादीगण का पूर्ण अधिकार है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा गवाहान नं0पी0डब्लू0नं.1 व पी0डब्लू नं0 2 के बयान लिये गये तथा जमाबन्दी सं0 2047 –70का अवलोकन किया गया । आराजी पैत्तिक वादीगण के दादा आज्ञाराम की है जिसपर वादीगण हिस्सा बनता है । मुताबिक जमाबन्दी विभाजन से प्रतिवादी नं01 के हिस्से में खसरा नम्बर 494/0.48 वाके ग्राम ~~किसलका~~ जुरहरी तहसील कामां है । जिसमें प्रतिवादी व वादीगण का 1/4, 1/4,1/4 हिस्सा बनता है । जिसका वादीगण का अधिकार है ।

उपखण्ड- अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

अतः आदेश है कि –

वादीगण का दावा खसरा नम्बर 494/0.48 वाके ग्राम किरावता तहसील कामां है जिसमें प्रतिवादी 1 का हिस्सा कलम किया जाकर व वादीगण एवं प्रतिवादी का 1/4, 1/4,1/4 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे जाकर अमल राजस्व रिकार्ड में किया जावे । मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05-2-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ० 20 रु० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अदालत S.D.O कामां मुकाम

सुरेश कुमार यादव RAS

शुभम कौशिक बनाम सत्यपाल

द्रावा बावत

मुकदमा नं० सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू अमित कुमार शर्मा Advocate

हाजिरी मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का दावा खसरा नम्बर 45/41/40 मौजा ग्राम सुन्हेरी तहसील कामां मय जमीनी का 1/ का हिस्सा कलम किया जाकर व वादीगण के जमीनी 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे

आज मुबलिग

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर को सदी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/02/19 माह सन्

को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2-		स्टाम्प वकालतनामा	......		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प अरजी	......		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर	......		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान	......		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	......		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	......		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	......		
मुतफर्रिक						
मीजान	4=.		मीजान			

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०